उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division,Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002
Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@upptcl.org
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 1542 वि0प्रे0खं–(गा0)/ दिनांक. 29.06.2022

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा,सोनभद्र।

संदर्भः–1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3393/11–सी0FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 31.05.2022
2.आपके कार्यालय पत्रांक 3021/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के फलस्वरुप दण्डात्मक एन0पी0वी0 देने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कमियां दर्शायी गयी है, जिसके के क्रम मे अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या– 08–197/91–एफ.सी. दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था ,जिसमे कोई समय सीमा वर्णित नही है, अर्थात भारत सरकार द्वारा उक्त वनभूमि को उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु 20 वर्षो के लिए हस्तान्तरित नहीं किया गया केवल इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन के आदेश संख्या– जी आई. 444/14–2–93–707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी जबकि उक्त अनुमति पत्रों के शर्तो मे 20 वर्ष का कोई जिक्र नही है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित है कि उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) के उपयोग मे पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी, इसलिए वर्ष 2014 मे लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल इस कार्यालय द्वारा उक्त वनभूमि को पुनः लीज पर लेने हेतु लीज नीवीनीकरण प्रस्ताव सम्बन्धित वन प्रभाग में जमा कर दिया गया था तथा सम्बन्धित वन प्रभाग से मिलकर लीज नीवीनीकरण प्रस्ताव को शीघ्र पुर्ण कराने की कोशिश की गयी। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने एवं लीज नवीनीकरण प्रकिया की कोई स्पष्ट गाइड लाइन न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रकिया में समय लग रहा है, इसलिये उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रकिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमे किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नही है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि वर्ष 2014 मे लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने को भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 मे उल्लेखित उल्लंघन की श्रेणी में न माना जाये, क्योकि उक्त गाइड लाइन नये वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्यों कि उक्त परियोजना उक्त वनभूमि पर वर्ष 1994 से बनी है जिसे वर्ष 2014 मे लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वनभूमि से हटाया नही जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0(वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) को उक्त वनभूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वनभूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वनभूमि का

गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित वनप्रभागों को उनके लीज रेन्ट मॉगपत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी वर्ष 2014 से अब तक ससमय जमा किया जाता रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त वनभूमि का पुनः उपयोग करने एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा पुनः लीज पर लेने तथा नया पट्टा कराने हेतु जमा किये गये लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मे दण्डत्मक एन0पी0वी0 न लगाये तथा प्रस्ताव को उ0प्र0 सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि उक्त वनभूमि को पुनः लीज पर लिया जा सके। उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में पुनः उक्त वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नही है, क्योकि उक्त वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु पूर्व मे ही भारत सरकार के पत्र संख्या– 08–197/91–एफ.सी. दिनांक–01.11.1993 द्वारा उक्त वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने हेतु अनुमति उ0प्र0रा0वि0प0(वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) को प्राप्त है।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकुट/सोनभद्र/मिर्जापुर/कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
4. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता